

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक)

बिहार, पटना।

\* अनौपचारिक  
रूप से परामर्शित

\* (द्वारा वित्त विभाग)।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य के विश्वविद्यालयों को गैर योजनान्तर्गत शिक्षकों के यू०जी०सी० वेतनान्तर माह अगस्त'10 से फरवरी'11 हेतु ₹ 160,86,39,886/-, शिक्षकेतर कर्मियों के छठे वेतनमान में वेतनान्तर माह अप्रैल'07 से दिसम्बर'07 हेतु ₹ 38,43,15,657/- एवं सितम्बर'10 से फरवरी'11 हेतु ₹ 28,47,20,430/- तथा 50% महंगाई भत्ता का मूल वेतन में विलय के फलस्वरूप माह जनवरी'05 से मार्च'07 तक वेतनान्तर हेतु ₹ 27,22,53,393/- तथा के०एस०डी०एस० विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2011-12 में कतिपय शिक्षकों के वेतन मद हेतु ₹ 2,19,51,288/- अर्थात् कुल ₹ 2,57,18,80,654/- (दो सौ सन्तावन करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार छः सौ चौवन रु०) मात्र की स्वीकृति तथा विमुक्ति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों/घाटानुदान महाविद्यालय के शिक्षकों/पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों, जो विधिवत रूप से सृजित पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर कार्यरत हैं या सेवा निवृत्त हो चुके हैं, के चालू वित्तीय वर्ष 2011-12 में विभागीय गणना के आधार पर पूर्व वित्तीय वर्षों के शिक्षकेतर कर्मियों के 50% महंगाई भत्ता का मूल वेतन में विलय के फलस्वरूप माह जनवरी'05 से मार्च'07 तक के वेतनान्तर के भुगतान हेतु कुल ₹ 27,22,53,393/- (सत्ताईस करोड़ बाईस लाख तिरेपन हजार तीन सौ तेरानबे रु०), वित्तीय वर्ष 2007-08 के शिक्षकेतर कर्मियों के छठे वेतन पुनरीक्षण में माह अप्रैल'07 से दिसम्बर'07 तक के वेतनान्तर के भुगतान हेतु ₹ 38,43,15,657/- (अड़तीस करोड़ तैंतालिस लाख पन्द्रह हजार छः सौ सन्तावन रु०), वित्तीय वर्ष 2010-11 के शिक्षकों के यू०जी०सी० वेतनमान में माह अगस्त'10 से फरवरी'11 तक के वेतनान्तर के भुगतान हेतु ₹ 1,60,86,39,886/- (एक सौ साठ करोड़ छियासी लाख उन्तालीस हजार आठ सौ छियासी रु०) एवं शिक्षकेतर कर्मियों के छठे वेतन पुनरीक्षण में माह सितम्बर'10 से फरवरी'11 तक के वेतनान्तर के भुगतान हेतु ₹ 28,47,20,430/- (अठाईस करोड़ सैंतालिस लाख बीस हजार चार सौ तीस रु०) तथा वित्तीय वर्ष 2011-12 में के०एस०डी०एस० विश्वविद्यालय के कतिपय सम्बद्ध महाविद्यालयों के कार्यरत शिक्षकों के वेतनादि के लिए जिनकी व्याख्याता के रूप में की गयी नियुक्ति में कॉलेज सेवा आयोग की सहमति प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने के उपरान्त वेतनादि के भुगतान हेतु ₹ 2,19,51,288/- (दो करोड़ उन्नीस लाख इक्यावन हजार दो सौ अठासी रु०) अर्थात् कुल ₹ 2,57,18,80,654/- (दो सौ सन्तावन करोड़ अठारह लाख अस्सी हजार छः सौ चौवन

